राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2008 से 31 मार्च 2009 तक की पंजीकृत, निर्णित एवं विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण 3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	186	48	80	31	0	159	27
2.	अलवर	172	46	51	29	1	127	45
3.	बारां	53	11	19	9	0	39	14
4.	बांसवाड़ा	34	6	8	12	0	26	8
5.	बाड़मेर	68	10	38	9	0	57	11
6.	भरतपुर	194	41	83	37	0	161	33
7.	भीलवाड़ा	154	41	73	23	0	137	17
8.	बीकानेर	84	16	41	14	0	71	13
9.	बूंदी	119	23	52	29	0	104	15
10.	चित्तौड़गढ़	102	15	47	16	0	78	24
11.	चूरू	62	22	13	9	0	44	18
12.	दौसा	79	17	27	13	0	57	22
13.	धोलपुर	88	11	33	22	0	66	22
14.	डूंगरपुर	25	9	9	4	0	22	3
15.	हनुमानगढ़	85	39	20	13	0	72	13
16.	श्रीगंगानगर	96	40	21	11	0	72	24
17.	जयपुर	728	180	243	159	22	604	124
18.	जैसलमेर	16	1	7	5	0	13	3
19.	जालौर	38	6	10	9	0	25	13
20.	झालावाड़	143	55	41	15	0	111	32
21.	झुन्झुनूं	76	11	33	12	0	56	20
22.	जोधपुर	107	16	40	20	0	76	31
23.	करौली	79	12	34	11	0	57	22
24.	कोटा	153	40	43	22	0	105	48
25.	नागौर	89	10	41	23	0	74	15
26.	पाली	148	20	66	32	0	118	30
27.	राजसमन्द	58	9	38	7	0	54	4
28.	स. माधोपुर	76	9	31	20	0	60	16
29.	सीकर	112	41	40	15	0	96	16
30.	सिरोही	63	3	33	14	0	50	13
31.	टोंक	74	12	37	16	0	65	9
32.	उदयपुर	85	23	31	18	1	73	12
33.	प्रतापगढ़	43	12	14	11	0	37	6
33.	राज्य से बाहर	24	14	9	1	0	24	0
	कुल	3977	1346	1152	829	77	3404	573

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार /विषयवार वर्गीकरण

जिले का नाम	हिरासत से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आरक्षित वर्ग (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.06)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	प्रसंज्ञान नहीं लिये गये प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. अजमेर	0	1	9	2	1	3	44	1	0	2	13	110	186
2. अलवर	0	1	2	2	0	6	57	0	0	10	8	86	172
3. बारां	0	0	3	0	0	0	20	0	0	1	5	24	53
4. बांसवाड़ा	0	0	0	1	0	1	11	0	0	0	5	16	34
5. बाड़मेर	0	0	1	0	0	0	8	1	1	6	3	48	68
6. भरतपुर	0	0	3	4	1	5	76	1	2	1	13	88	194
7. भीलवाड़ा	0	0	0	1	0	2	36	0	1	3	6	105	154
8. बीकानेर	0	0	2	0	0	0	22	0	0	3	6	51	84
9. बूंदी	0	2	0	5	1	0	43	1	0	3	8	56	119
10. चित्तौड़गढ़	0	0	2	2	0	4	31	1	0	3	10	49	102
11. चूरू	0	1	0	2	0	1	13	0	0	2	5	38	62
12. दौसा	1	1	0	6	0	6	24	0	0	3	5	33	79
13. धौलपुर	0	1	0	8	0	4	34	0	0	0	2	39	88
14. डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	4	11	25
15. हनुमानगढ़	0	1	1	2	0	2	10	0	0	7	3	59	85
16. श्रीगंगानगर	2	2	0	6	0	2	16	0	0	4	4	60	96
17. जयपुर	16	3	12	11	2	6	195	10	2	37	89	345	728
18. जैसलमेर	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	11	16
19. जालौर	1	0	0	1	0	5	12	0	0	1	6	12	38
20. झालावाड़	1	1	2	3	0	0	44	0	0	5	19	68	143

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित 100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21. झुन्झुनूं	1	0	0	1	0	1	16	0	0	7	9	41	76
22. जोधपुर	1	0	7	0	1	1	25	0	0	6	6	60	107
23. करौली	1	0	0	0	0	7	21	0	0	1	13	36	79
24. कोटा	0	5	8	3	0	1	56	1	0	4	24	51	153
25. नागौर	1	0	0	3	0	0	26	0	1	2	6	50	89
26. पाली	0	0	0	2	0	4	27	0	5	3	17	89	147
27. राजसमन्द	0	0	0	3	0	1	7	0	2	0	9	35	57
28. स. माधोपुर	0	0	0	0	0	5	27	0	0	3	11	28	74
29. सीकर	0	0	0	2	1	1	26	0	0	7	4	72	113
30. सिरोही	1	0	0	3	0	0	10	1	1	4	6	36	62
31. टोंक	0	1	2	0	0	0	24	0	0	6	7	35	75
32. उदयपुर	1	0	3	0	0	0	21	0	2	1	17	42	87
33. प्रतापगढ़	0	0	1	2	0	0	14	0	0	1	3	21	42
33. राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	25	26
कुल	36	34	57	26	6	39	1121	14	27	191	331	2095	3977

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित 100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (2001 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से 800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
कुल	5	12	34	25	3	26	327	5	3	34	102	147	723

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा–निर्देश

1. परिवाद संख्या– 07/17/3885 में परिवादी के साथ एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गये अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार पुलिसकर्मी पूरणमल, उप निरीक्षक के विरूद्व धारा– 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया।

2. परिवाद संख्या– 08/18/497 में एक महिला व उसकी पुत्री द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर लोगों को परेशान करने की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व ने बीट कानि0 को उन पर नजर रखने के दिशा–निर्देश दिए। इसके अलावा भी आयोग ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे राजकीय स्तर पर उनके ईलाज की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावें।

3. परिवाद संख्या– 08/17/1116 में नगरपालिका द्वारा आमरास्ते में दमकल सहित अन्य वाहन खडे कर रास्ता अवरूद्व करने के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर, जयपुर ने नगरपालिका, शाहपुरा को पाबन्द कर आयोग को सूचित किया।

4. परिवाद संख्या– 07/17/3061 में महानिदेशक, कारागार को जेल में अनियमितताओं व शोषण को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

5. परिवाद संख्या– 07/17/3497 में सचिव, प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को निर्देश दिए गये कि वे स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट व अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को संवेदनशीलता व समझबूझ से काम लेने के निर्देश देवें।

6. परिवाद संख्या– 06/17/1637 में शिप्रापथ थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा अकारण परिवादी से मारपीट करने के मामले व बार–बार तलब करने पर भी पुलिसकर्मी चन्दन सिंह के आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

7. परिवाद संख्या– 07/17/2711 में परिवादी द्वारा अपनी शिकायत एस.डी.एम. कोटपूतली, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, महानिदेशक पुलिस व विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री महोदया सहित कई स्थानों पर दर्ज कराने और उन पर जारी निर्देशों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने की दशा में जिला कलेक्टर को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

8. परिवाद संख्या– 08/50/1423 में एक वृद्व माता को उसके पुत्र द्वारा जबरन घर में रखने और ईलाज नहीं कराने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, देहरादून को मामले की वस्तुस्थिति देखकर वृद्वा सत्यवती वर्मा की स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

9. परिवाद संख्या– 08/18/418 में खुली जेल में निरूद्व बंदियों को दी गई विद्युत सुविधा व उन पर खर्च के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग से राज्य सरकार की जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया।

10. परिवाद संख्या– 08/17/1458 में ईंट भट्टा मजदूरों से जबरन कार्य करवाने के परिवाद पर जिला कलेक्टर, जयपुर को माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायिक विनिश्चय ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 802 में दिए गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

11. परिवाद संख्या– 07/17/1516 में परिवादिया के कैंसर पीडित होने और ईलाज में हो रही परेशानियों के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष, रेडियोथैरेपी विभाग भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर द्वारा आयोग को परिवादिया के ईलाज की समुचित सुविधा व सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।

12. परिवाद संख्या– 07/17/2260 में सोर्स के अभाव में कैंसर मरीजों के ईलाज के सम्बन्ध में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुम्बई ने आयोग को अवगत कराया कि उनके द्वारा जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को 144 RMM कोबाल्ट–60 की आपूर्ति दे दी गई है और सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को 150 RMM कोबाल्ट–60 की आपूर्ति जुलाई तक कर दी जायेगी।

13. परिवाद संख्या– 08/17/1503 में परिवादी की पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देने के मद्देनजर न्यायहित में थानाधिकारी, रोहिणी, नई दिल्ली को कानून सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

14. परिवाद संख्या– 8/17/1379 में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस लौटाने के मामले को स्कूल प्रशासन की Competence का माना जाकर स्कूल प्रशासन से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की थी। जिस पर स्कूल प्रशासन ने अपेक्षित कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।

15. परिवाद संख्या– 08/17/1213 में मृतका के स्थान व दिनांक गलत अंकन करने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार जिला सांख्यिकी अधिकारी ने जांच में शिकायत सही पाई। जिस पर सम्बन्धित कर्मचारी ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गये।

16. परिवाद संख्या– 08/17/1669 में परिवादी द्वारा एक चिकित्सक द्वारा मरीजों से अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कानून सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

17. परिवाद संख्या– 08/17/1193 में वी.सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. व ब्लड बैंक में सलाहकार व लैब टेक्निशियन की समस्याओं के बारे में परियोजना निदेशक, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी ने गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुबंध को तुरन्त समाप्त करने और कर्मचारियों को 6500/– रूपये फिक्स अनुबंध पर रख कर आयोग को सूचित किया गया।

18. परिवाद संख्या– 08/17/1681 में दिनांक 13.5.2008 को जयपुर में हुए बम–विस्फोटों में घायल व्यक्ति को मामले की वस्तुस्थिति देखकर कानून–सम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गये।

19. परिवाद संख्या– 08/17/1667 में गुर्जर आन्दोलन में मृत व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कर उनके परिजनों को नहीं सौंपने और पोस्टमार्टम में देरी के कारण डेड–बॉडी सडने से वातावरण प्रदूषित होने और संक्रमणता फैलने, मृतक के परिवारजन दुखी रहने, वैमन्स्यता बढने और ऐसे आन्दोलनों के कारण रेल,बस, माल परिवहन का आवागमन रूकने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/डी0आर0एम0 रेल्वे/प्रबन्ध निदेशक रा0रा0पथ परिवहन निगम/कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किए गये।

20. परिवाद संख्या– 07/17/2021 में एक लावारिस बच्चें की लाश को पुलिसकर्मियों द्वारा बिना परिजनों को सूचित किए जला देने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार दोषी पुलिसकर्मियों को धारा– 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही के तहत् दोषी पुलिसकर्मी ओमप्रकाश (उपनिरीक्षक) को परिनिंदा के दण्ड से व रिछपाल सिंह (कानि0 6263) को भविष्य के लिए चेतावनी के दण्ड से दंण्डित किया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

21. परिवाद संख्या– 08/17/796 में कामकाजी महिला के साथ छेडछाड करने और शारीरिक उत्पीडन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट– 3011 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' में दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक पुलिस को कार्यवाही करने के लिए लिखा गया ।

22. परिवाद संख्या– 06/17/2384 में परिवादी को पुलिसकर्मी द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षकगण जयपुर शहर (उत्तर)/कोटा को लिखा गया कि वे सम्बन्धित पुलिसकर्मियों को पाबन्द करें कि वे बिना वजह परिवादी या अन्य किसी व्यक्ति को धमकी न देवें। इस आदेश की पालना में पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर उत्तर, जयपुर द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारियों व वृत्ताधिकारियों को पाबन्द करवा कर आयोग को सूचित किया गया।

23. परिवाद संख्या–5/25/1379 में परिवादिया श्रीमती कालीदेवी के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार निदेशक स्थानीय निकाय विभाग ने सूचित किया कि परिवादिया के पेंशन कुलक पर हस्ताक्षर करवा कर पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया जा चुका है।

24. परिवाद संख्या–08/05/623 में परिवादिया श्रीमती चनणी देवी को जाति से बाहर निकालने की धमकी देकर रूपये वसूलने व राजीनामा करने का दबाव डालने का मामला आयोग के महानिरीक्षक (पुलिस) द्वारा बाद जांच सही पाये जाने पर महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर को निर्देश दिए गये कि वे इस मामले मे केस आफिसर स्कीम के तहत् विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे, इंसदादी कार्यवाही करे व सम्बन्धित थानाधिकारी–सिणधरी से स्पष्टीकरण लेकर आयोग को सूचित करें।

25. परिवाद संख्या– 08/17/1442 में आयुक्त, जयपुर नगर निगम ने कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर आयोग को सूचित किया।

26. परिवाद संख्या– 07/17/1516 में एक गरीब कैंसर पीडित महिला के मामले में देरी से जवाब पेश करने पर शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता बताते हुए हिदायत दी गई कि ऐसे मामलों में कागजी कार्यवाही में विलम्ब न हो और जल्दी से जल्दी पीडित को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलवाई जाये।

27. परिवाद संख्या– 08/17/1973 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने झोटवाडा क्षेत्र में चल रहे मूर्तियों के कारखाने एवं पत्थर काटने की मशीनों को हटाकर सूचित किया।

28. परिवाद संख्या–08/17/2355 में डी.ए.वी. सेन्टनेरी स्कूल, जयपुर में उत्पन्न हुए विवाद पर प्रधान, डी.ए.वी. प्रबन्धन समिति, नई दिल्ली से अपेक्षा की गई कि वे स्कूल की समस्याओं को आपसी समन्वय से सुलझा कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखें।

29. परिवाद संख्या–08/17/1193– में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को वी. सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. एवं ब्लड बैंक में एड्स सलाहकार एवं लैब टेक्नीशियन से उनसे सम्बन्धित कार्य ही करवाने के निर्देश दिए गये।

30. परिवाद संख्या– 08/17/1672 में अग्निकाण्ड में घायल दीपचन्द की मृत्यु के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री सहायता कोष या अन्य कोष से मुआवजा दिलवाने हेतु लिखा गया।

31. परिवाद संख्या– 06/17/3509 में पार्किंग स्थल के व्यवसायिक उपयोग बाबत् नगर निगम जयपुर/यातायात पुलिस की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने व मोनिटरिंग की हिदायत दी गई।

32. परिवाद संख्या– 08/17/1681 में जयपुर बम विस्फोटों में घायल शहूद अख्तर को जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा 25000/– रूपये का भुगतान किया जाकर सूचित किया गया।

33. परिवाद संख्या– 03/17/1968 में मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद प्रथा प्रचलित होने के सम्बन्ध में नगर निगम ने अवगत कराया कि अजमेर रोड पर राजीव कॉलोनी में जो कच्चे पत्थरों की लैट्रीन थी, वहां मकान मालिक द्वारा पक्की लैट्रीन बनाकर सोकपिट में कनेक्शन करवा दिया गया है।

34. परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234 में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर से पूछा गया कि एड्स की रोकथाम के लिए किए गये प्रचार–प्रसार व ईलाज की सुविधा से एड्स के मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई या कमी आई?

35. परिवाद संख्या– 08/17/663 में परिवादी को बिजली पाने से किसी न किसी रूप से डिप्राइव करना पाये जाने पर विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले के तथ्यों को देखते हुए अपने स्तर पर कानूनसम्मत कार्यवाही करने की अपेक्षा की।

36. परिवाद संख्या– 08/17/289 में प्रसूति अवकाश बाबत् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–1 विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हेमलता सारस्वत के केस में दिए गये आदेश के अनुरूप एक माह में कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई।

37. परिवाद संख्या–08/17/1819 में रेजिडेन्ट डाक्टर्स द्वारा दिनांक 8.6.2008 को की गई हडताल के सम्बन्ध में **जयपुर एसोसियेशन ऑफ रेजिडेन्ट डाक्टर्स** को अपंजीकृत संगठन एवं Legal Entity और Locus Standi के अभाव में Null & Void होना पाये जाने पर हडताल के लिए कथित एसोसियेशन के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को उत्तरदायी माना और रेजीडेन्ट डाक्टर्स को आत्मचिंतन करने के निर्देश के साथ–साथ, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा ऐसी समस्याओं के तुरन्त निदान में अनावश्यक देरी से आमजन को असुविधा के साथ–साथ लॉ एण्ड आर्डर की समस्या ना हो, इस हेतु उचित कार्यवाही की अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों से भविष्य में आपसी समन्वय बनाये रखते हुए कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना व संवेदनशीलता से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव हित में काम करने की अपेक्षा की, जिससे आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ मानव हित व सुशासन में मदद मिल सकें।

38. परिवाद संख्या– 08/17/1540 में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई कि मिड डे मील कार्यकम में उद्देश्य पूर्ति के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार मोनिटरिंग करते रहे।

39. परिवाद संख्या–08/17/2927 में एस0एम.एस.एच0 लेब में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन एवं देखभाल हेतु स्वास्थ्य मंत्री से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

40. परिवाद संख्या–08/17/1542 में न्यूरो सर्जरी विभाग की प्रथम यूनिट में हैड द्वारा लेट राउण्ड लेने से मरीज की एक डोज मिस होने जैसी स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित डाक्टर्स से अपेक्षा की गई कि वे ओ.टी. एवं ओ.पी.डी. के दिनों को छोडकर समय पर राउण्ड ले, जिससे परिजनों के मिलने के समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

41. परिवाद संख्या– 07/06/755 में आयोग की खण्डपीठ के निर्देशानुसार परिवादी को टोकनमनी क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने के साथ–साथ दोषियों के विरूद्व धारा– 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गया।

42. परिवाद संख्या– 08/07/1607 में पुलिसकर्मी श्यामसुन्दर के विरूद्व 16 सी.सी.ए. करने के साथ पीडिता के भरण पोषण की राशि श्यामसुन्दर के वेतन से कटौती कर न्यायालय में जमा करवा कर आयोग को सूचित किया गया।

43. परिवाद संख्या– 8/10/264 एवं 08/07/1363 में आयोग के निर्देशानुसार बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व विभिन्न धाराओं में चार्जशीट पेश कर सूचित किया गया।

44. परिवाद संख्या– 07/06/3860 में अनुसंधान का सत्यापन करवाया गया व माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने भी पिटीशन संख्या– 533/97 में अभिनिर्धारित किया कि जो दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जा चुका है, उसके बारे में न्यायालय ही विनिश्चय करेगा।

45. परिवाद संख्या– 06/08/2408 में न्यास द्वारा आबंटी की परिवेदना पर एक विकलांग को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाने के सम्बन्ध में लिए निर्णय के बारे में यू.आई.टी. से जवाब मांगा।

46. परिवाद संख्या– 06/19/2112 में आयोग के निर्देशानुसार अति0 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में औद्योगिक ईकाईयों को ग्रेनाइट की स्लरी निर्धारित स्थान पर ही डालने का निर्णय लेकर आयोग को सूचित किया।

47. परिवाद संख्या– 08/17/3023 में आयोग के निर्देशानुसार पेंशन विभाग एवं विशेषाधिकारी (वित्त) ने कुल पेंशनर्स की संख्या– 1,30,000 होना बताया व यह भी अवगत कराया कि सरकार से Clerification आ गया है तथा 92 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से आने के बाद प्रकिया शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर पात्र पेंशनर्स को देय लाभ देने का आश्वासन दिया।

48. प्रकरण संख्या'08/18/3471 में 17 दलित मजदूरों को बंधक बनाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण को तुरन्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

49. प्रकरण संख्या– 08/17/3275 में नगर निगम को 'क्लीन एण्ड ग्रीन जयपुर' के स्लोगन को ध्यान में रखते हुए सफाई, स्वास्थ्य, पर्यावरण के लिए अपने कर्त्तव्यों का संवेदनशीलता से पालन करने और निरन्तर मोनिटरिंग के निर्देश दिए गये।

50. प्रकरण संख्या– 08/17/3535 में बन्दी मनोज ठाकरान को प्रताडित करने और ईलाज नहीं किए जाने के मामले में महानिदेशक को कानूनसम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

51. परिवाद संख्या– 08/17/1071 में पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (यातायात) से आमजन व सभी का सहयोग लेकर सडक सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम कर जनता को राहत पहुंचाने की अपेक्षा की गई।

52. परिवाद संख्या– 06/17/04 में आवासीय कॉलोनी में कारखाने द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिए गये।

53. परिवाद संख्या– 08/17/3288 में आयुक्त, नगर निगम को रैन बसेरा का माकूल इंतजाम करने के आदेश दिए गये।

54. परिवाद संख्या– 08/17/3282 में परिवादी के स्वयं के अपराधी प्रवृत्ति का होने और एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखने के मामले में राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों को अवलोकनार्थ सूचित किया गया।

55. परिवाद संख्या– 8/17/2510 में राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि विमन्दित, अनाथ और अनाश्रित लोगों की देखभाल व पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करेंगे।

56. परिवाद संख्या– 08/17/2815 में एनटीटी छात्राओं के साथ हुई मारपीट से सम्बन्धित अधिकारीगण से अपेक्षा की गई कि वे आयांदा अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी परिस्थितियों का संयम और विवेक से निपटारा करें।

57. परिवाद संख्या– 08/17/418 में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को खुला जेल में सिस्टेमेटिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये।

58. परिवाद संख्या– 09/17/102 में जिला कलेक्टर को आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री से हो रहे ध्वनि प्रदूषण व पर्यावरण प्रदूषण की वस्तुस्थिति देखकर कानून सम्मत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गये।

59. परिवाद संख्या–09/17/193 में रैगिंग के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही व प्रिंसिपल/पेरेन्ट्स/ विद्यार्थियों में आपसी समन्वय बनाये रखने हेतु माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को न्यायोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गये।

60. परिवाद संख्या– 08/17/2356 में जयपुर दन्त चिकित्सालय कर्मचारी यूनियन की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ने महाराज विनायक डेन्टल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के विरूद्व कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा– 7 ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर आयोग को सूचित किया।

61. परिवाद संख्या– 08/17/3015 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ने सम्बन्धित पुलिसकर्मी ओमप्रकाश ए. एस.आई. व कांस्टेबल– शकील, शंकर सिंह एवं महिला कानि0 रोशनी को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर आयोग को सूचित किया गया।

62. परिवाद संख्या– 8/26/1422 में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी को निलम्बनकाल का बकाया भुगतान किया जाकर सूचित किया।

63. परिवाद संख्या– 08/08/1789 में आयोग के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने परिवादी को मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाकर सूचित किया।

64. परिवाद संख्या– 05/21/1698 में परिवादी द्वारा छद्म रूप से अपने आपको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताने पर उसके विरूद्व धारा– 419, 500 भा0दं0सं0 में चालान पेश कर आयोग को सूचित किया।

65. परिवाद संख्या–7/16/8104 में आयोग के आदेश पर वारिसान को कुल राशि 41,671 रुपये का भुगतानकर सूचित किया।

66. परिवार संख्या–8/17/2332 में सेंट एंसलम स्कूल, मालवीय नगर के एक टीचर द्वारा बच्चों को ट्यूशन हेतु और इन्टर्नल मार्क्स देने के लिए अनुचित दबाव डालने और इन तथ्यों को आयोग के समक्ष स्वीकार कर लेने के बाद दोषी टीचर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्कूल प्रशासन, ज्ञान विहार, सोसायटी, सी.बी.एस. को निर्देश दिए गये।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र की 60वीं वर्षगांठ एवं "अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस" के अवसर पर 10 दिसम्बर, 2008 को आयोग द्वारा विभिन्न स्कूलों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मानवाधिकार विषयों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिलवाये गये।